

17/8/20
पत्रावली पेश हुई। पशुकारान के अभिमाषक
महोदय उपस्थित। श्रीमान श्रीमान अधिकारी
महोदय दोरे/अचकाश में तशरीफ रखते है
पत्रावली दिनांक 4-6-2020 को पेश हो

4/5/20
पत्रावली पेश हुई। पशुकारान के अभिमाषक
महोदय उपस्थित। श्रीमान श्रीमान अधिकारी
महोदय दोरे/अचकाश में तशरीफ रखते है
पत्रावली दिनांक 3-8-2020 को पेश हो

13/8/2020

पत्रावली पेश हुई। पशुकारान के अभिमाषक
महोदय उपस्थित। श्रीमान श्रीमान अधिकारी
महोदय दोरे/अचकाश में तशरीफ रखते है
पत्रावली दिनांक 1-10-2020 को पेश हो

22/10/20

पत्रावली पेश हुई। पशुकारान के अभिमाषक
महोदय उपस्थित। श्रीमान श्रीमान अधिकारी
महोदय दोरे/अचकाश में तशरीफ रखते है
पत्रावली दिनांक 23/10/20 को पेश हो

23/10-2020

पत्रावली पेश हुई। वकील जयवीर इपरस्थित ही
अर्चना पत्र में वकील जयवीर की एकपक्षीय
बहस सुनी गई। संक्षिप्त में उपपत्र में निवेदन
किया कि मानपुरा तहसील में गांव की भूमि ख.
सं. 57 रकबा 16 बीघा व भूमि ख.सं. 58
रकबा 08 बीघा कुल रकबा 01 बीघा 04
बीघा ही विवादित भूमि है। प्रार्थना
खतियार काश्तकार ही हजगनी व सुस्तुरीका
नाम भी रिजार्ड में दर्ज है जिसके वारिस
प्रार्थना ही ही प्रत्यार्थगिण अर्जेंध व
अनाधिकृत रूप से भूमि के उत्तरी ओर पूर्व-
पश्चिम लम्बी करीब 2 फीट चौड़ी एवं पश्चिम
करीब 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने
पर भामडा ही भूमि घेने की घमकी प्रार्थना
को दे रहे हैं अतः प्रार्थना को अधिकार
उपपत्र है कि प्रत्यार्थगिण इक्त वरिष्ठ हीमा
में भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण
नहीं करे व बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा
न करे। प्रत्यार्थगिण को अस्थायी निषेधाज्ञा



से पाबंद किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र, रिकार्ड फ़तवा
का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि पर
खतिद्वार कृषक दत्त रिकार्ड है अप्राथमिक
को प्रार्थमिक की भूमि नष्ट-श्रष्ट करने व
अन्य प्रकार से बाडाबन्दी आदि करने से
रोकने का किसी प्रकार का कोई कानून
अधिकार नहीं है अप्राथमिक को पाबंद
नहीं किया गया तो वो प्रार्थमिक की भूमि
पर जबरन हस्तक्षेप कर लेंगे जिससे
जमीन को अनावश्यक क्षति होगी। प्रथम दृष्टया
केवल प्रार्थमिक के पक्ष में प्रतीत होता है अतः
प्रार्थना पत्र प्रार्थमिक स्वीकार किया जाता है।
ग्राम मानपुरा तहसील नैनवाँ की भूमि ख.सं.
सं. 57 रुकबा 16 बिस्वा व भूमि ख.सं. 58
रुकबा 08 बिस्वा कुल कित 02 कुल रुकबा
01 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर से प्रार्थमिक को
प्रत्यार्थमिक भूमि को नष्ट-श्रष्ट नहीं करे, प्रार्थमिक
को भूमि की सीमाबन्दी डोल आदि लगाने
अन्य प्रकार से बाडाबन्दी करने से नहीं रोके
उत्तरी एवं पश्चिमी हिस्से या अन्य किसी भी
हिस्से पर बलपूर्वक अतिक्रमण कर प्रार्थमिक
को बेइखल न करे। ऐसा न तो स्वयं करे,
ना किसी अन्य से करावे, तार्किकता वाद
अप्राथमिक को अस्थायी निषेधाज्ञा से
पाबंद किया जाता है निर्णय सुनाया गया।
पत्रवली वाद तहसील डारखिल इफ़तर है।
मूल वाद के साथ रजिस्ट्रेशन रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)